https://doir.coffice.gov.in/eFile/?x=uVh*dVhJ5KeP*KjNU-TvLnnk

फा.सं.जेड-14014/1/2019-जीसी (ई-9315)

भारतसरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,

नईदिल्ली-110011

दिनांक: 22.01.2020

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: दिसंबर, 2019 के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिकसार।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त दिनांक 17.08.2018 एवं 11.10.2018 के पत्रांक 1/26/1/2018-कैब. का उल्लेख करने और दिसंबर, 2019 के लिए भूमि संसाधन विभाग के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

(अर्जुन राणा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23044653

सेवामें,

मंत्रीपरिषदकेसभीसदस्य।

प्रतिलिपिप्रेषित:-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नईदिल्ली -110011
3. भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सभी सचिव, भारत सरकार।
6. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
7. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव
2. माननीया ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के निजी सचिव

दिसंबर,2019 माह के दौरान भूमि संसाधन विभागद्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और मुख्य कार्यकलापों का सार

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई की समीक्षा करने के लिए पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक दिनांक 17 और 18 दिसंबर, 2019 को उदयपुर में आयोजित की गई और राजसमन्द जिला, राजस्थान में पिपलान्तरी स्थित वाटरशेड विकास परियोजना का फील्ड दौरा किया।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अंतर्गत दिसंबर, 2019 माह के दौरान 24 परियोजनाओं (02 राज्यों में) के पूरा होने की सूचना प्राप्त हुई है, इस प्रकार वर्ष 2019-20 के दौरान पूरी हुई परियोजनाओं का योग 672 (13 राज्यों में) हो गया है। यह 2009-10 से 2014-15 के दौरान 28 राज्यों में संस्वीकृत कुल 6382 [8214 (संस्वीकृत)- 1832 (राज्यों का हस्तांतरित)] वाटरशेड विकास परियोजनाओं में से हैं। नीरांचल सहित डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अंतर्गत वाटरशेड विकास के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान (दिसंबर, 2019 तक) राज्यों को 971.59 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और विशेषतः दिसंबर, 2019 के दौरान राज्यों को 517.90 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) को उनके अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई की क्षमता और कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए, इस योजना के एक समान दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस संबंध में, सीईओ, एनआरएए द्वारा संबंधित मंत्रालय के अधिकारियों और एनआरएए के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ दिनांक 23.12.2019 को परामर्शक बैठक आयोजित की गई।

सचिव, भूमि संसाधन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 09.12.2019 को परियोजना संस्वीकृति और निगरानी समिति (पीएस एण्ड एमसी) की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों में डीआईएलआरएमपी की प्रगति की समीक्षा की गई और डीआईएलआरएमपी के अंतर्गत प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।

व्यापार करना आसान बनाना- दिल्ली और मुम्बई में सम्पत्तियों के रजिस्ट्रीकरण के बारे में हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा कोलकाता और बेंगलूरू में विभिन्न सुधारक उपायों को अग्रता के आधार पर लागू करने के लिए सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 03.12.2019 को महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, भूमि एवं विकास कार्यालय तथा दिल्ली के समस्त नगर निगमों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों अथवा योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने के लिए सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 09 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई।